

-आदेश :-

मुख्यालय के आदेश संख्या-1314041 दि0 03-09-2013 द्वारा पारगमन प्राधिकार पत्र के माध्यम से परिवहित होने वाले माल की नई व्यवस्था दिनांक 15-09-2013 से लागू की गयी है। इस व्यवस्था के संबंध में विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में निहित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार करते हुये संशोधित व्यवस्था इस कार्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1314054 दि0 01-10-2013 से जारी करते हुये दि0 15-10-2013 से लागू की गयी है।

2- उपर्युक्त पारगमन प्राधिकार पत्र के माध्यम से परिवहित होने वाले माल की नई ट्रान्जिट व्यवस्था में अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- मार्ग में वाहन खराब होने, कोई दुर्घटना होने, दैवीय प्रकोप होने अथवा अन्य कोई अपरिहार्य कारण होने पर प्रदेश से निर्गमन हेतु ट्रान्जिट पास हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की स्थिति में निकटस्थ वाणिज्य कर कार्यालय में सूचित करने की व्यवस्था में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नवत निर्देश जारी किये जाते हैं :-

3- उपर्युक्त अप्रत्याशित परिस्थितियों घटित होने पर यथा सम्भव तत्काल वाहन चालक / ट्रान्सपोर्टर द्वारा TDI के HOME PAGE पर जाकर अपने TDI नंबर की प्रविष्टि दिख रहे टी0डी0 फॉर्म में DELAY INFORMATION के मेनू आप्शन पर क्लिक कर अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से वाहन तथा माल के स्थान का पता व ड्राप डाउन में जिले को सेलेक्ट कर सूचना ONLINE विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। इस सूचना के उपरान्त विभाग के सचलदल / वि0अनु0शा0 / अन्य अधिकारियों द्वारा जाँच / सत्यापन किया जा सकता है। इस तरह से रुके माल / वाहन का अपरिहार्य परिस्थितियों के निराकरण के पश्चात पुनः यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन चालक / पर्सन इन्चार्ज द्वारा प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के निकटस्थ सुविधा केन्द्र में जाकर निम्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा :-

सेवा में,

असिस्टेंट कमिशनर (प्रशासन)/ डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

महोदय,

अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर _____ स्थान (राज्य) से उत्तर प्रदेश राज्य से होते हुये उत्तर प्रदेश के बाहर _____ स्थान (राज्य) के लिये माल का परिवहन किया जा रहा था। निम्न परिस्थितिबश _____

_____ माल / वाहन समय से प्रान्त के बाहर नहीं ले जाया जा सका है।

इस संबंध में विवरण निम्नवत है :-

क- पारगमन प्राधिकार पत्र (टी0डी0एफ0) नंबर _____ दिनांक _____

ख- वाहन संख्या _____

ग- वाहन रुकने का स्थान _____

घ- वाहन रुकने का समय (दिनांक _____ से दिनांक _____ तक)

कृपया उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय के अन्दर माल व वाहन प्रान्त बाहर न ले जाये जाने के सम्बन्ध में रसीद जारी करने की कृपा करें जिससे माल / वाहन प्रान्त बाहर ले जाया जा सके।

स्थान _____

दिनांक _____

प्रार्थी

हस्ताक्षर

(वाहन चालक / वाहन स्वामी / ट्रान्सपोर्टर)

नाम व पूरा पता

फोन नंबर _____

4- उक्त आवेदन पत्र संबंधित जनपद में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) / डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर से तथा उनके उपलब्ध न होने पर किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का पृष्ठांकन निम्नवत किया जायेगा तथा पृष्ठांकन के पूर्व वाहन/वाहन में लदे माल का निरीक्षण किया जा सकता है :-

पृष्ठांकन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन करने वाले अधिकारी का नाम

पद नाम -----

कार्यालय -----

5- अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पृष्ठांकित किये जाने के उपरान्त आवेदन पत्र व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में व्यापारी सुविधा केन्द्र द्वारा निम्न प्रारूप में कम्प्यूटर से रसीद जारी की जायेगी :-

अपरिहार्य परिस्थितिवश समय से पारगमन प्राधिकार पत्र से संबंधित माल / वाहन न ले जाये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में रसीद।

रसीद संख्या ----- दिनांक -----

क- पारगमन प्राधिकार पत्र (टी0डी0एफ0) नंबर ----- दिनांक -----

ख- वाहन संख्या -----

ग- अपरिहार्य परिस्थितियों में वाहन के रुकने का कारण -----

घ- वाहन रुकने का स्थान -----

ड- वाहन रुकने का समय (दिनांक ----- से दिनांक ----- तक)

च- आवेदन पत्र पृष्ठांकित करने वाले अधिकारी का नाम / पदनाम

उपर्युक्तानुसार रसीद निर्गत करने के लिए कम्प्यूटर सिस्टम में व्यास सेन्ट्रल में प्रावधान कर दिया गया है।

6- वाहन चालक / ट्रान्सपोर्टर द्वारा उपर्युक्त रसीद के साथ अपना वाहन माल सहित गन्तव्य स्थान पर ले-जाया जा सकेगा। वाहन चालक द्वारा व्यापारी सुविधा केन्द्र से प्राप्त रसीद सचलदल इकाईयों द्वारा प्रदेश में वाहन चेकिंग के समय प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर केवल समय से माल / वाहन के उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर न ले जाये जाने के संबंध में प्रतिकूल संज्ञान नहीं लिया जायेगा। सचलदल अधिकारी 9235512608 नंबर पर एस0एम0एस0 करके सर्वर से रसीद की वास्तविकता की जाँच कर सकते हैं। एस0 एम0एस0 का प्रारूप निम्नवत है:-

ctxup < space > idfd < space > Vehicle number :

7- वाहन यू0पी0 से निकल जाने के बाद टी0डी0एफ0 -2 भरते समय टी0डी0एफ0 के लागिन के उपरान्त " update Delay Information " Option को Click कर उक्त रसीद में दी गयी सूचना के आधार पर टी0डी0एफ0 -2 भरने का समय जितने दिन तक वाहन रुका है उतने दिन की सीमा तक स्वमेव बढ़ जायेगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


3-12-2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पू0प0सं0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0 प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिव्युत्पन्न, उ.प्र. प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग 2, उ.प्र. प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियाँ में)
- (5) अध्यक्ष/निबंधक, उ.प्र. प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर 30प्र0।
- (9) समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0प0) वाणिज्य कर 30प्र0।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा ताल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इन्फो, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उ.प्र. प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउंटेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट ऑफिस आफ द प्वाजी0आडिट 11, सरोजनी नाथडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइंट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/ असिस्टेंट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाह्यालय।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइंट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/ असि0कमि0 (30-या0कार्य0) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट बैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल स्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर)।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, समीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंठल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंठल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दासलसफा लखनऊ।
- (29) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0। ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (33) आल इंडिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (34) कन्फेडरेशन आफ इंडियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबधित ज्वाइंट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (37) श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, (नदी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/2/4, चिरंजीव विहार) निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (39) श्री गदान मोहन भारतीय एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहना रोड कानपुर।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (42) डा0 छेदी लाल सार्थी, ए 5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (43) श्री बी0ए0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिमरा वाराणसी।
- (44) श्री अशोक धवन सी के 24/1 कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभागी) 30प्र0 टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर।
- (47) श्री आशा डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0जा0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।

- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (50) इन्डियन इण्डोएसो, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो. वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउंड कैसरबाग रोड मेरठ।
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चैयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रांतीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ०प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (59) श्री दिनेश नन्द गिल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोगती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउंड, कैसर गंज रोड मेरठ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इग्लीवला मोटरा सादाबाद रोड, हाथरस।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ० प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)।
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, मली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बसर्थू।
- (67) श्री मनोष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद।
- (69) श्री बी०ए०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीर्थ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्रा, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 24/65, यहियागंज, लखनऊ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, अराखण्ड।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)।
- (75) अध्यक्ष, यू०पी० मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
- (76) अध्यक्ष / सचिव, वेस्टर्न यू०पी० चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बागबे बाजार, मेरठ।



(प०पी० शुक्ला)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश